जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

14/15

मुन्तकिली प्रकरण सं0 14/2015 अनवानी 1–स्वरूपसिंह पुत्र स्व. श्री रतन सिंह 2–सोमादेवी पत्नि श्री स्वरूप सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम लच्छू तहसील देहरा जिला कांगडा पो.ऑ. बनखड़ी, हिमाचलप्रदेश बनाम 1–श्री राजेश सिंह पुत्र स्व. श्री रतन सिंह पौत्र श्री वीर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम निरवाना तहसील सूरतगढ 2–श्री सकीन सिंह 3–श्रीमति कंचन देवी 4–राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ 5–उपपंजियक सूरतगढ 6–सरपंच ग्राम पंचायत निरवाना 6–उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ श्री रामचन्द्र पोटलिया

12.12.2015

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थीयान के अभिभाषक श्री विकम बिश्नोई उपस्थित है। अप्रार्थीयान सं0 1 से 3 के अभिभाषक श्री जितेन्द्र सरपाल उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थीगण के अभिभाषक का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के न्यायालय में एक वाद सं0 123/2013 राजेशसिंह बनाम सकीन सिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए का लंबित है और प्रार्थी एक साधारण किसान है और अप्रार्थी सं0 1 (वादी) का अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के साथ काफी मेल जोल है और वह अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के घर आते जाते रहते है और वादी के आदमीयों ने अदालत में खुलेआम कहा है कि उनकी पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है और वाद का निर्णय वादी के पक्ष में ही होगा जिससे उन्हे अधिनस्थ न्यायालय से निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नही है। इसलिए उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में सुनवाई एवं निस्तारण के लिए मुन्तकिल किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीयान के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा लगाये आरोप गलत है मामला काफी पुराना है और प्रार्थीगण ने जानबूझकर प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब के लिए यह प्रा0 पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थी सं0 1 सेवानिवृत सैनिक कर्मचारी है जो वर्तमान में सुरक्षा प्रहरी गार्ड के पद पर पंजाब नेशनल बैंक श्रीगंगानगर में कार्यरत है जो पिछले कई महिनों से अवकाश न मिल पाने के कारण अपना कार्य स्थल ही छोड नही सका है अप्रार्थी सं0 1 अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को न तो जानता है और न ही पहचानता है। प्रार्थीगण स्वयं नेक नियत नही है। इसलिए प्रा0 पत्र खारिज किया जावे।

मैने उभय पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ की टिप्पणी दिनांक 26.03.2015 का भी अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपो को मिथ्या बताया है और कथन किया है कि मामला पिछले 7 वर्षो से जेरकार है प्रार्थी द्वारा जानबूझकर विलम्ब करने के लिए ही उन पर मिथ्य आरोप लगाये है और इस प्रकरण को अन्यत्र मुन्तकिल करने में उन्हे कोई आपति नही है। प्रार्थी द्वारा लगाया गया यह आरोप कि अप्रार्थी सं0 1 का पीठासीन अधिकारी से मेलजोल है और उनके घर आना जाना है और ऐलानिया कह रहे है कि उनके पक्ष में फैसला होगा जो एक साधारण प्रकृति का आरोप है जो मुकदमा मुन्तकिली का कोई ठोस आधार नही बनाता है फिर भी हम चाहते है कि प्रार्थी

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

का न्याय प्रणाली में पूर्णतया विश्वास बना रहे। इसलिए न्याय हित में उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के न्यायालय में लंबित वाद सं0 123/2013 राजेशसिंह बनाम सकीन सिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का मुन्तकिली प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के न्यायालय में लंबित वाद सं0 123/2013 राजेशसिंह बनाम सकीन सिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए को उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ के न्यायालय में सुनवाई एवं निस्तारण हेतु मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ को आदेश दिया जाता है कि वे उक्त प्रकरण को शीघ्र उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ को भिजवावें। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ व उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.12.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर